

सुप्रिया साहू  
निदेशक (बीसी)

भारत सरकार  
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-110115

सं 804/36/2010-बीसी-III  
नई दिल्ली, 17 जून 2010

### निदेश

यह देखा गया है कि कई टीवी चैनल केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7(2)(viii)(क) का उल्लंघन करके विज्ञापन प्रसारित कर रहे हैं। इसके द्वारा सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाता है कि इस मंत्रालय कि दिनांक 27.02.2004 की अधिसूचना को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7(2)(viii) (क) के उल्लंघन में उत्पादों के विज्ञापनों को प्रसारित करने के लिए उद्धृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि संशोधित नियम के अंतर्गत दिशानिर्देश अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस मंत्रालय की दिनांक 09.08.2006 की अधिसूचना के अनुसरण में सीबीएफसी द्वारा जारी प्रमाणपत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7(2)(viii) में बाद के संशोधनों के मद्देनजर ये अमान्य हैं।

इसलिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, अपने द्वारा जारी किए गए अपलिकिंग/डाउनलिकिंग दिशानिर्देशों के तहत, अन्य शक्तियों के साथ-साथ, एक टीवी चैनल को अपलिक या डाउनलिक करने के लिए दी गई अनुमति के नियम और शर्तों और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के तहत इसके द्वारा, समाचार और समसामयिक मामलों के चैनलों सहित सभी टीवी चैनलों को निर्देश, देता है कि वे अपने चैनल पर किसी उत्पाद के किसी भी विज्ञापन को प्रसारित करना बंद कर दें जो एक ब्रांड के नाम या लोगो का उपयोग करता है जिसका उपयोग सिगरेट, तंबाकू उत्पादों, शराब, या अन्य नशीले पदार्थ के लिए भी किया जाता है और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7(2) (viii) (क) के प्रावधानों का सख्ती से पालन करें।

सभी टीवी चैनलों को इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और उनके द्वारा प्रसारित किए जा रहे ऐसे सभी विज्ञापनों को तुरंत वापस लेना होगा। विज्ञापन संहिता के उपरोक्त

प्रावधान का कोई भी उल्लंघन भविष्य में प्रसारण के निलंबन या निषेध सहित अधिक सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

(सुप्रिया साहू)  
निदेशक (बीसी)  
दूरभाष 23389202

सेवा में,

समाचार और समसामयिक मामलों के सहित सभी टीवी चैनल  
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन  
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन